

राजस्थान सरकार

गृह (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक-प. 5(9)गृह-1/2021 (12474)

जयपुर, दिनांक : हस्ताक्षरित दिनांक

आदेश

राजस्थान पुलिस सेवा नियम, 1954 के नियम 32 के अन्तर्गत गठित रिव्यू विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 02.06.2026 के द्वारा की गई अभिशंषाओं के अनुसार राजस्थान पुलिस सेवा की **सुपरटाईम स्केल की** निम्नांकित वर्षों के पूर्व में जारी पदोन्नति आदेशों में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है:-

वर्ष 2023-24

श्री अशोक कुमार मीणा के विरुद्ध विचाराधीन विभागीय जांच कार्यवाही अन्तर्गत सीसीए नियम 17 में श्री मीणा को एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किये जाने के कारण इनकी सीलड कवर में रखी पदोन्नति अभिशंषा निरस्त की जाती है।

वर्ष 2024-25

श्री अशोक कुमार मीणा की राजस्थान पुलिस सेवा की सुपरटाईम स्केल में वर्ष 2023-24 में रखी सीलड कवर अभिशंषा को निरस्त किये जाने कारण वर्ष 2024-25 में पदोन्नत किया जाता है तथा इनकी वरिष्ठता श्री हिमांशु (एससी) के नीचे निर्धारित की जाती है।

यह पदोन्नति आदेश माननीय न्यायालयों में लम्बित समस्त प्रकरणों के अन्तिम निर्णय के अध्यक्षीन है। श्री अशोक कुमार मीणा को रिक्ति दिनांक से नोशनल आधार पर वेतन लाभ देय होगा तथा अग्रिम आदेशों तक वर्तमान पद पर यथावत कार्य करते रहेंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(रत्नेश कुमार शर्मा)

वरिष्ठ शासन उप सचिव, पुलिस

प्रतिलिपि :-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव/विशिष्ट शासन सचिव, गृह।
3. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
4. वरिष्ठ शासन उप सचिव, गृह (ग्रुप-6) विभाग को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. संबंधित अधिकारी मार्फत महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
6. रक्षित पत्रावली।

वरिष्ठ शासन उप सचिव, पुलिस

1. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।

वरिष्ठ शासन उप सचिव, पुलिस

संयुक्त शासन सचिव, गृह (पुलिस) विभाग, 1112 प्रथम तल, मुख्य भवन, शासन सचिवालय, जयपुर।

0141-2227294, IP 2820457/Ext.-22325, 22324 Email : home.police@rajasthan.gov.in

